



झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर (साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस),

सिरखा टोली, नामकुम, राँची - 834010 (झारखण्ड)

पत्रांक - JUT- 269/2024/Reg./1490

/राँची, दिनांक- 05/12/2024

प्रेषक,

कुलसचिव (प्रो),

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

नामकुम, राँची।

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,

राज्य स्थित संबद्धता प्राप्त सभी राजकीय,

गैर-राजकीय एवं पीओपीओ मोड पर संचालित

डिप्लोमा अभियंत्रण/गैर-अभियंत्रण संस्थान।

विषय:- शैक्षणिक वर्ष 2024-25 हेतु डिप्लोमा अभियंत्रण/गैर-अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में नियमित सेमेस्टर तथा पार्श्विक प्रवेश योजना (Regular and Lateral Entry Scheme) के अधीन नामांकित विद्यार्थियों द्वारा निबंधन के लिए भरे गये (Online) ऑन लाईन निबंधन आवेदन पत्र को अनुमोदित/अस्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि शैक्षणिक वर्ष- 2024-25 हेतु डिप्लोमा अभियंत्रण/गैर-अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में नियमित सेमेस्टर तथा पार्श्विक प्रवेश योजना (Regular and Lateral Entry Scheme) के अधीन प्रथम सेमेस्टर/वर्ष तथा तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में नामांकित विद्यार्थियों का निबंधन से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय स्तर पर दिनांक- 09/12/2024 से किया जाना है।

2. इस निमित्त निबंधन आवेदन पत्र का प्रपत्र, विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यकारी वेबसाइट <http://www.jutranchi.ac.in> पर भारित (Upload) है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा सभी संबंधित प्रविष्टियों को काफी ध्यान पूर्वक एवं सही तरीके से भरा जाना है।

3. निबंधन के लिए विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र में निबंधन शुल्क से संबंधित जमा की गई राशि का विवरण भी अंकित किया जाना अनिवार्य है, शुल्क का भुगतान ऑन-लाईन माध्यम से <https://payments.billdesk.com/bdcollect/bd/juot/15174> लिंक द्वारा किया जाना है (बैंक चालान मान्य नहीं होगा)। तत्संबंधी निबंधन शुल्क की राशि निम्नवत् है:-

(क) निबंधन शुल्क - ₹0 350.00

(ख) निबंधन शुल्क (विलम्ब शुल्क सहित)- ₹0 550.00

4. विद्यार्थियों द्वारा ऑन-लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र को दिनांक - 15/12/2024 तक विलम्ब शुल्क रहित (Without fine) तथा दिनांक - 18/12/2024 तक विलम्ब शुल्क सहित (With fine) जमा किया जाना है।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक - 18/12/2024 के बाद निबंधन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. संस्थान प्रमुख द्वारा नामांकित विद्यार्थियों की पहचान, ऑन-लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र में Scanned फोटोग्राफ से मिलान कर एवं संतुष्ट होने के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये "Online Registration" के निमित्त Format को दिनांक - 21/12/2024 तक विधिवत अनुमोदित/अस्वीकृत किया जाना है। विश्वविद्यालय द्वारा "Online Registration" के लिए Login ID एवं Password संस्थान को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। सुरक्षा कारणों से इसे किसी के साथ Share नहीं करें तथा Password को समय-समय पर बदल लिया जाय। दिनांक - 21/12/2024 के बाद "Online Registration" को Lock कर दिया जायेगा। सुलभ प्रसंग के लिए "Online Registration" हेतु संस्थान के लिए User Guidelines विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यकारी वेबसाइट के "Gyanjyoti" link पर उपलब्ध है।

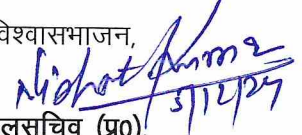
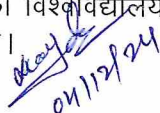
6. “Gyanjyoti” link पर Students Corner के नीचे Registration के button पर Click करने के बाद Student को ID Field में अपने Email ID को तथा Password Field में Date of Birth को भरा जाना है। इसके उपरान्त Course Type (B.Tech./Diploma) Select कर Sign Up/Sign In किया जा सकता है। Sign Up/Sign In करने के बाद Registration Application Form को भरकर Final Submit करने के उपरान्त उसका एवं Payment Receipt का Print Out निकाल कर संबंधित संस्थान में दिनांक – 19/12/2024 तक जमा किया जाना है। निबंधन के संबंध में किसी भी संशय/दुविधा की स्थिति में श्री मनोज कुमार नायक, कार्यालय सहायक, मोबाईल संख्या– 7870730577 पर कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 05:30 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

7. संस्थान द्वारा अपने Login ID एवं Password की मदद से Login करने के बाद Registration Section में जाकर Students द्वारा submit किये गये Registration Application Form के सभी प्रविष्टियों की जाँच करते हुए Approve / Disapprove किया जाना है, विद्यार्थियों द्वारा भरे गये Registration Application Form में किसी भी तरह की गलती/गलतियों को सुधारने के पश्चात ही उसे Approve करें। विद्यार्थियों से संबंधित Registration Application Form को दिनांक – 19/12/2024 से 21/12/2024 की अवधि तक Approve / Disapprove किया जा सकता है। साथ ही विद्यार्थियों के विवरण का गलत सत्यापन के लिए संस्थान को पूरी तरह से जिम्मेवार समझा जायेगा, क्योंकि संस्थान द्वारा विद्यार्थियों के किये गये अनुमोदित विवरणों के अनुसार ही विश्वविद्यालय स्तर पर निबंधन संख्या आवंटित की जायेगी।

निबंधन संख्या आवंटन करने से संबंधित नामांकित विद्यार्थियों की शाखावार विवरणी (संस्थान में उपलब्ध कराये गये विद्यार्थियों का मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) के अंकित व्योरा सहित) सूची तैयार करने के उपरान्त, उसे संस्थान प्रभारी द्वारा सत्यापित/अभिप्रमाणित करते हुए विश्वविद्यालय कार्यालय को दिनांक – 24/12/2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इसे प्राथमिकता देना चाहेंगे।

नोट:— संस्थान में विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के समय अथवा निबंधन आवेदन पत्र भरने के दौरान मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) उपलब्ध कराया गया/जाता है तो संस्थान उसे अपने स्तर से जाँच कर सुरक्षित तरीके से संधारित करते हुए विश्वविद्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा इसकी माँग की जा सके।

विश्वासभाजन,

कुलसचिव (प्रो),
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
राँची।

04/12/24